राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.4(30)उद्योग/1/2022 जयपुर, दिनांक 22 SEP 2023

लोक सूचना

ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में कॉनकोर द्वारा मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास हेतु 19.8474 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा की गयी अनुशंषा तथा SIA रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर यह सुनिश्चित है कि:–

i. प्रश्नगत अवाप्ति 19.8474 हैक्टेयर की प्रस्तावित की गई है, जो न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप है।
ii. प्रश्नगत अवाप्ति से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है, इससे कम को विस्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।
iii. प्रस्तावित भूमि अवाप्ति सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं लोकहित में है।
iv. सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भविष्य में होने वाले सम्भाव्य फायदे बहुत अधिक हैं।
v. ऐसा कोई पूर्व में अप्रयुक्त क्षेत्र पास में स्थित नहीं है।

अतः प्रश्नगत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुशंषा की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. जिला कलक्टर, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लोक सूचना को जिला कलक्टर कार्यालय की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (कॉनकोर), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लोक सूचना को कॉनकोर की वेबसाइट पर अपलोड करवाते हुए प्रभावित क्षेत्रों में जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी एवं प्रचार–प्रसार करवाया जाये।
3. उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जोधपुर।
4. तहसीलदार, लूणी, जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत, सालावास, तहसील लूणी, जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

CamScanner